<u>सार्वजनिक लेखापरीक्षकों के सामाजिक दायित्व</u>

1. मैं ऐसी विशेष संस्था में ऐसी विशिष्ट सभा को संबोधित करने में अति सौभाग्य की बात समझता हूँ। सौभाग्य- इसलिये नहीं कि मैं अमेरिका के सबसे संभ्रांत विश्वविद्यायल में खड़ा हूँ; सौभाग्य- इसलिये नहीं कि मैं विश्व में कुछ बेहतरीन और प्रतिभाशाली लोगों के समक्ष खड़ा हूँ, सौभाग्य- इसलिये कि मैं उस समूह के समक्ष खड़ा हूँ जिनके पास प्रक्रिया और लोगों की सोच बदलने की क्षमता और अवसर है। मैं सचेत हूँ क्योंकि मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, कि मैं उस समूह को संबोधित कर रहा हूँ जो समाज जिससे वे जुडे हैं, के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालेंगे और जो भविष्य के मार्गदर्शकों के रूप में उभरेंगे। मैं यह कह रहा हूँ क्योंकि कई जो इस संस्था से सफल हुये हैं, विश्व के कई देशों में बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं। मैं, ऐसे समूह से बातचीत करने का अवसर पाने को सम्मान मानता हूँ।

2. मेरी कॉलेज की शिक्षा के शीघ्र बाद, मैं भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुआ और अपने पूरे जीवन में नौकरशाह रहा। नौकरशाह, एक परिभाषा के अनुसार : वह अधिकारी है जो निर्धारित दिनचर्या के अनुसार कार्य करता है, कुशल निर्णय लिये बिना। फ्रेंक हबर्ट ने अपने विज्ञान कथा उपन्यास ''हेरेटिक्स ऑफ डूम'' में कहा ''नौकरशाही नेतृत्व के अवसर समाप्त कर देती है''। वे विस्तारपूर्वक यह कहते हैं कि एक नौकरशाह नवप्रवर्तन, विशेष रूप से वह नवप्रवर्तन जो बेहतर परिणाम लाता है से अधिक किसी चीज को थोड़ा नापसंद करते हैं। विशेषण जैसे कठोर, नाकारात्मक, संकीर्ण प्रवृत्ति, उदासीनता का हमें दैनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ऐसा कैसे है कि कथित रूप से, दफ्तरशाही से पूर्ण

प्रणाली में 40 वर्ष बिताने के बाद, मैं आपके समक्ष आत्मविश्वास के साथ खड़ा हूँ कि मैं उन जिम्मेदारियों को जो हम करने के लिये प्रतिबद्ध नहीं हैं, को संक्षिप्त रूप से बताने के लिये आपको बुला सकता हूँ। मैं ऐसा सरकार में सम्मानीय कार्यकाल के अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ कर रहा हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमसे संबंधित जिम्मेदारियां निराधार है। वह भुलावा है।

3. सरकार में शासन, शक्ति का प्रयोग और लोगों की ओर से निर्णय लेना है। गांव, शहर या देश में इस समूह के लोगों के बेहतर जीवन और विकास, यह अधिकार दिये गये लोगों द्वारा किये गये चयन पर निर्भर है। इस अधिकार का दुरूपयोग या उपयोग न करना सरल है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सुशासन, तब होता है, जब उसका प्राधिकरण और संस्था जवाबदेह, प्रभावी और सक्षम, पारदर्शी, उत्साहपूर्वक, उचित और विस्तृत और कानून के नियम का पालन करे। वर्तमान में, शासन ने इतना महत्वपूर्ण अनुपात अति महत्वपूर्ण लगता है। शासन में पणधारकों ने कार्यकारी, विधानमंडल और न्यायतंत्र से पटे सिविल समाज, सामाजिक संस्थाओं, मीडिया और सार्वजनिक तक विस्तार किया है। मूल विस्तार के अतिरिक्त, प्रत्येक नया पणधारक बहुत मुखर और मांग करने वाला बन गया है। यह इस संदर्भ में है कि मैं आपसे सार्वजनिक लेखापरीक्षक की भूमिका की चर्चा का प्रस्ताव रखता हूँ।

4. विश्व भर में सभी देशों में संसद की ओर से सरकार के व्यय का निरीक्षण करने के लिये महालेखापरीक्षक का प्रावधान है। इनमें से अधिकतर देशों में, ऐसे महालेखापरीक्षक,

को सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा करने और संसद को उनके निष्कर्ष बताना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।

भारत में हमारे लिये भी ऐसी अनिवार्यता है। लेखे में अपनी सरकार को रोकने में सिविल समाज के बढ़ते हित को ध्यान में रखते हुये, हम विश्लेषण करते रहे हैं कि क्या हमारी अनिवार्यता सिर्फ लेखापरीक्षा करना- रिपोर्ट तैयार करना- संसद के समक्ष प्रस्तुत करना और समाप्त है।

5. हम क्या विश्लेषण कर रहे है, वो है कि क्या हमारी संवैधानिक रूप से अनिवार्य जिम्मेदारी उस समय समाप्त हो जाती है जब हम संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं या यह इस कल संबंधित कार्य जो हम करते हैं से किसी भी प्रकार परे है। हमारे दिमाग में बार-बार उत्पन्न होने वाले इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिये, हमने कुछ अन्य संसदीय प्रजातंत्र में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की संवैधानिक स्थिति को भी देखा। यह उस समय था, जब हमें देश में सर्वोच्च जिसे वे सिर्फ लेखाकार समझते हैं द्वारा अपने जनादेश से आगे न बढ़ने और सरकार के व्यय की यांत्रिक लेखापरीक्षा करने की सलाह दी जा रही थी। हमें लेखापरीक्षण नीति बनाने के अधिकार में शामिल न होने की सलाह दी जा रही थी। प्रश्न जो लगातार हमारे दिमाग में बार-बर उत्पन्न हो रहा है, वो है कि क्या संसद वास्तव में मुख्य रूप से जनता हमसे सिर्फ लेखाकार होने और सरकारी व्यय पर गणना करने की अपेक्षा करती है। यदि ऐसा है तो, विश्व भर में संविधान को महालेखाकार जैसे उच्चाधिकारियों की नियुक्ति क्यों करनी चाहिये और उन्हें कार्यकारी से स्वतंत्रता, मुक्ति

और संवैधानिक पद क्यों देना चाहिये। स्पष्ट रूप से जो संविधान में परिकल्पित किया गया था वो उनके केवल लेखाकार होने की अपेक्षा से अधिक था।

6. भारत में सिविल समाज एक असाधारण स्थिति का साक्षी है। स्थिति जहां नागरिक अहम स्थान पर आ गया है और अपने निर्णय के लिये सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहता है। आज नागरिक सरकार के साथ बातचीत करना चाहता हैं और निर्णय लेने में भागीदार बनना चाहते है। वे नीति बनाने में पारदर्शिता चाहते हैं। आज के युवा विवेकी, मांग करने वाले हैं और संविधान द्वारा बनाये गये संस्थान का सम्मान करने में विश्वास रखते हैं। वे इन संस्थानों पर राजनैतिक प्रभाव नहीं देखना चाहते। वे स्थाई शासन के लिये नये सदाचारी और नैतिक रूपरेखा चाहते हैं। नागरिक अहम स्थान पर आ रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, वास्तव में, यह स्थिति है, जो 'मूक बहुमत' के मिथक को समाप्त करती है। यह आवाज अपनी बात रखना चाहती है। इस आवाज को राजनैतिक दलों द्वारा कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया था चूँकि यह उन लोगों की आवाज थी जो सिर्फ कमरे में वाद-विवाद में व्यस्त थे और कभी राय देने नहीं आये। प्रशासन ने उन्हें नजरअंदाज किया क्योंकि उनका शक्तिशाली दबाव समूह में स्वयं को तैयार रखने का इतिहास नहीं था। इसलिये, लोगों के सहज प्रवाह, जैसा हाल ही में देखा गया है, ने प्रशासन और राजनैतिक दलों को अप्रत्याशित रूप से लिया।

7. इसलिये भारत में सिविल समाज में अलग बदलाव आया है। यह शासन के मॉडल में बदलाव की मांग करता है, यदि ऐसा है, तो सार्वजनिक लेखापरीक्षण के उद्देश्य और दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होना चाहिये?

यह वह मुद्दा है जो मैं आज आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

क्या हमें सार्वजनिक लेखापरीक्षक के रूप में संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपनी भूमिका को सीमित रखना चाहिये या उससे आगे जाना चाहिये और अपने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर संवेदनशील सामाजिक राय लेनी चाहिये, विशेष रूप से, सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, जल प्रदूषण, पर्यावरण, पेय जल आदि।

हमने इस परिवर्तन पर साकारात्मक रूप से प्रक्रिया की है और तिगुना परिवर्तन लाना है। पहला, अब हम अपनी लेखापरीक्षा दृढ़ विश्वास के आधार पर करते हैं कि हम शासन के उन्नयन के कार्य में इतना व्यस्त हैं जैसे प्रशासन में कोई अन्य एजेंसी। हम, हम वे के विचार से सहमत नहीं हैं और स्वयं को कार्यकारी के रूप में उसी ओर रखते हैं। हमारी लेखापरीक्षा संस्कृति में परिवर्तन आया है। अब हम सकारात्मक रिपोर्टिंग करते हैं। इसलिये, गलती ढूढने वाले जो अक्सर दूरदर्शी रूप से समझदार होते हैं, से अब हम अच्छी प्रथाओं की पहचान और रिपोर्ट करते है जो हम लेखापरीक्षा के दौरान देखते हैं।

8. दूसरी ओर, अपने लेखापरीक्षा अवलोकनों के केवल व्यापक प्रचार-प्रसार सकारात्मक और नकारात्मक - दोनों सुनिश्चित करने के लिये - हम अपनी रिपोर्टों में मुख्य अवलोकनों को छोटी सी किताब में परिवर्तित कर देते हैं जो अच्छी तरह से अनुक्रमित होती हैं और सरलता से समझी जा सकती है। हम यह पैम्फलेट बांटते आये हैं जिसे हम मीडिया, कॉलेजों, नागरिक समूहों, गैर सरकारी संस्थान आदि को ''नॉडी'' बुक्स के रूप में संदर्भित करते हैं। यह दृढ विश्वास किया जा रहा है कि जागरूक नागरिक, यदि एक बार सरकारी

विभागों की अपर्याप्तता के बारे मे अवगत हो जाये, तो इन विभागों पर दबाव डालेगा और सतर्कता बनायेगा जिससे सरकारी सेवाओं का बेहतर प्रतिपादन सुनिश्चित होगा।

तीसरा, अपनी गहरी जांच और सामाजिक क्षेत्र के मामलों की अधिक व्यापक कवरेज की इच्छा के कारण हमने सामाजिक लेखापरीक्षा के विषय का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी स्वयं की मुख्य योग्यता लेखापरीक्षा करने तक सीमित है। कभी-कभी, हमारे पास उन क्षेत्रों का पर्याप्त गहरा ज्ञान भी नहीं होता कि सरकारी योजनाऐं किस आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं। इस प्रकार सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्य क्षमता की बेहतर समझ के लिये उनका स्थानीय ज्ञान प्राप्त करने के लिये हम विश्वसनीय नागरीक समूह से जुडते हैं जो उस क्षेत्र में कार्य रहे हों।

इसने हमें बेहतर परिणाम दिये हैं, और उन एजेंसियों को उनके व्यवस्थापक संस्था में अधिक विश्वसनीय मताधिकार प्रदान किया है। हम विशेष स्थानों और क्षेत्रों में लेखापरीक्षा करने के अपने इरादे को मीडिया में, मुख्य कवरेज भी देते हैं और इन क्षेत्रों में सुझावों के साथ-साथ जानकारी भी मांगते हैं। इससे काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है। पणधारकों को किनारे से केन्द्र स्तर तक लाने से जवाबदेही की प्रक्रिया से जोड़ने के अलावा इन तीनों प्रस्तावों ने, हम लेखापरीक्षकों को पूर्ण लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में भी सहायता की है।

9. यह सुनिश्चित करने के लिये कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं और वास्तव में, व्यापक रूप से समाज के लिये उत्तरदायी हैं, हमने अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के बीच रूझानों को देखा। हमने पाया कि विश्व भर में सरकार के कार्य को पारदर्शी बनाने

की प्रवृत्ति है। इस संदर्भ में अन्य लोकतांत्रिक देशों में विधानसभाऐं सरकार के कार्यक्रम और गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षाओं के माध्यम से सरकार को वित्तीय रूप से उत्तरदायी बनाना आवश्यक करके अपने महालेखापरीक्षक को सशक्त बना रही है। जुलाई 2004 में यूएसए में, बाहरी लेखापरीक्षक को अनिवार्य करने को बढ़ावा देने के लिये 110$^{वीं}$ कांग्रेस में कई प्रस्ताव रखे। यूएसए के **भूतपूर्व महालेखाकार कार्यालय** (जीएओ) को एजेंसी के विकास और अतिरिक्त कर्त्तव्यों पर विचार करने के लिये **सरकारी जवाबदेही कार्यालय** के रूप में पुन: पदनामित किया गया था। आज संस्था के अधिकांश कार्य में सरकारी कार्यक्रमों की विस्तृत श्रेणियों पर मूल्यांकन नीति, विश्लेषण तथा कानूनी राय एवं निर्णय अंतर्भूत है। आज अधिकांश प्रतिवेदन जीएओ ब्ल्यूकवर प्रतिवेदन इस सवाल क्या संघीय निधियां उचित रूप से खर्च हो रही है या नहीं, से परे है यह पूछने के लिए कि क्या संघीय कार्यक्रम तथा नीतियां अपने उद्देश्यों और समाज की जरूरतों को पूरा कर रहे है या नही। आज के जीएओ पर सरकार का निष्पादन मापना तथा इसे परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराना, वो कौन है तथा क्या कर रहे है के लिए मुख्य है। वे विश्वास कायम रखते है कि जनता सरकार के संचालन खर्च करने से लेकर नीति निर्माण तक के सभी पहलुओं पर तथ्यों की पात्र है।

10. एस्टोनिया में एक ऐसा ही मामला था जहां टाल्लीन शहरी निकाय ने राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एजेंसी संस्था के आवास क्षेत्र में इसकी गतिविधियों की लेखापरीक्षा परीक्षा करने के अधिदेश पर विरोध किया। चार साल से अधिक की लंबी मुकदमेबाजी के बाद, सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि राष्ट्रीय लेखापरीक्षा प्राधिकरण के लिए स्थानीय सरकारों का निरीक्षण करना असंवैधानिक नहीं है। न्यायालय ने निर्णय किया कि स्थानीय निकाय लोगों

के कल्याण के लिए कार्य करते है तथा एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के द्वारा लोगों को उनके संचालन की कार्य कुशलता के विषय में सूचित रखे जाने की आवश्यकता है। ऐसी विश्वव्यापी प्रवृत्तियों ने हमारी धारणा को पुन: पुष्ट किया है कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की अनिवार्यता जनता की सम्मति को सुग्राही बनाने के लिए है।

11. लोक लेखापरीक्षकों की परम्परागत भूमिका वित्तीय अनुप्रमाणित लेखापरीक्षा का संचालन करना है। तथापि, विषय जिस पर हम विचार विमर्श करते है यह है कि क्या आम नागरिक वास्तव में चिंतित है, क्या सरकार के वित्तीय विवरण वास्तव में गलत वर्णन करते है। क्या वह और अधिक मौलिक विषयों जो उसके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते है तथा उन विषयों के बारे में जो उसके अपने अस्तित्व से ही टकराते है जैसे खाना, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा इत्यादि के बारे में चिंतित नहीं है? वह सवाल जो हम खुद के समक्ष रखते है तथा जो मेरा आपसे पहला प्रस्ताव है: क्या लोक लेखापरीक्षा केवल संसद में अपना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर इन विषयों का समाधान करता है।

क्या लोक लेखापरीक्षकों के पास उत्तरदायित्व है जो उनसे परे जाते है जिन्हें परम्परागत तरीकों द्वारा प्राप्त किया है ? यदि सुशासन का परिणाम इसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार है, तो क्या यही प्रभावी लोक लेखापरीक्षा के लिए नहीं होना चाहिए ?

इन सभी के लिए हमारा उत्तर एक प्रतिध्वनित सकारात्मक था। यह इधर से है जब हमने आवरण को धकेलना तथा अब तक अभ्यस्त परम्परागत एवं रूढिवादी कार्य प्रणाली के परे जाना शुरू किया। इस आवरण के धकेलने ने कार्यकारिणी की ओर से एक तीव्र प्रतिरोध

विकसित किया। नि:सन्देह यह अपेक्षित था। हमारे अधिदेश से हमारे सीमा पार कर जाने से संबंधित प्रश्न उठाए गए। ऐसे सक्रियतावाद के नीति निर्धारण में हस्तक्षेप तथा जनता की राय को भ्रामक बनाने के समान होने के विषय में कथन उभर कर आए। तथापि, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है तथा भारतीय शहरी मध्यम वर्ग नागरिक मामलों में और ज्यादा शामिल हो रहा है, हम इस विश्वास में नए रास्ते पर चलना कायम रख रहे है कि समग्र रूप से जनता अन्तिम पणधारी है।

12. पहल करने में, जैसा उल्लिखित है, हम नि:संदेह अवगत है कि हम, एक संस्था के रूप में संवीक्षा के पात्र हो जाएंगे। यह आवश्यक बना देता है कि हम, हमारे लेखापरीक्षा के संचालन में वस्तुनिष्ठता तथा पारदर्शिता का अभ्यास करें। हम सुनिश्चित करें कि हमारा संगठन सत्यनिष्ठा में कमी की एक शून्य सहिष्णुता का निर्वाह करता है। हम यह भी सुनिश्चित करते है कि हमारी मानव पूंजी, हमारे लेखापरीक्षा व्यवसायिक तौर पर उत्कृष्ट बने रहे तथा लोक लेखापरीक्षा में आधुनिकतम प्रचलनों से सुसज्जित रहें। यह अनिवार्य है कि हम निष्पक्ष तथा विश्वसनीय दिखाई दें। हम केवल तभी विश्वास के योग्य है यदि हमें विश्वसनीय सक्षम तथा स्वतंत्र के रूप में आंका जाता है तथा हमें अपनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता हो। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आचार नीति तथा नैतिकता के आत्म परिभाषित नियमावली के अन्तर्गत सेवा में उत्कृष्टता तथा गुणवत्ता है।

13. सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओं की लेखापरीक्षा परीक्षा का समाज में विश्वास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह जनता के पर्स के संरक्षकों का ध्यान लोक संसाधनों को

प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने पर केन्द्रित करता है, क्योंकि वे जानते है कि लेखापरीक्षा परीक्षा जांच के बाद जनता उनके कार्यो के विषय में अवगत हो जाएगी। ऐसी जागरूकता इस प्रकार वांछनीय मूल्यों का समर्थन करती है तथा कुशल निर्णय लेने का मार्गदर्शन करने वाले उत्तरदायी तंत्र को सहारा देती है। एक बार नागरिक ऐसे निष्कर्षों के विषय में संवेदनशील हो जाते है तो वे जनता के पर्स के संरक्षक को उत्ररदायी ठहराने के लिए सशक्त हो जाते है। एक संसदीय लोकतंत्र में, यह महत्वपूर्ण है कि एक देश के नागरिक उनके प्रतिनिधियों को उत्तरदायी ठहराने के समर्थ है। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को केवल तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि वे, बदले में, उनको उत्तरदायी ठहरा सके जो उनके निर्णयों का कार्यान्वयन करते है। इस उत्तरदायी चक्र का एक महत्वपूर्ण अवयव एक स्वतंत्र तथा विश्वसनीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है। जो प्रबंधन तथा लोक संसाधनों की समीक्षा करने में सक्षम हो। नागरिको के विषयों पर उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करने के द्वारा अपनी प्रभावोत्पादकता दर्शाना हम पर निर्भर करता है। यह हमारा दृढ विश्वास है कि उन आदर्शो तथा सुविधाओं का संचार तथा प्रोत्साहन करना, जिन्हें हम अपने अधिकार क्षेत्र में लोक तंत्र तथा उत्तरदायित्व के लिए ला सकते है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक सतर्क मीडिया तथा एक प्रबुद्ध नागरिक वर्ग ने निस्संदेह जो सत्ता में है उनकी ऐसी उत्तरदायिता की ओर ध्यान खींचा है। हमने भी इस उद्देश्य की ओर वजन दिया है। हम भ्रष्टाचार को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकते, परन्तु पूंजीवाद के घनिष्ट मित्रों के उदाहरणों का अनावरण करने का प्रयास कर सकते है। सरकार स्वत: उद्योगों का समर्थन करती हुई दिखाई देनी चाहिए तथा विशिष्ट उद्यमियों का नहीं।

14. अब मैं मेरे पहले आत्मविश्वास के वक्तव्य पर वापस आता हूँ कि मुझे भविष्य के नेताओं के एक समूह के समक्ष खड़ा होने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। मेरा उस परिवर्तन, जो हमने तंत्र में प्रस्तावित किया है, का आपको विवरण देने के दोहरा उद्देश्य है। प्रथम यह है कि मैं सामाजिक उत्तरदायित्व में हमारा विश्वास, जिनको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, के लिए आपके अनुमोदन की तलाश कर रहा हूँ। दूसरा, आपके समक्ष मेरा दूसरा प्रस्ताव अर्थात जटिल नियमों के वेश के नीचे, जॉच पड़तालों का भय तथा अधिक समय लेने वाली पद्धतियां एक बहाने के रूप में, एक सुस्त अकार्यशीलता की स्थिति में रहने के लिए आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगी। तथापि, अपने पीछे नौकरशाही में चालीस वर्षों के अनुभव के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी सी कल्पना, नवीन प्रक्रिया तथा पहल देने पर, गरीबों और अधिकारहीनों को अधिकार तथा शक्ति देने की चुनौती संभावना के क्षेत्रों के अन्तर्गत है। इसे केवल प्रक्रियाओं का एक सरल नवीन मार्ग, नियमों में हल्का सुधार उन लोगों की संवेदनशीलता जो परियोजना के लिए कार्य करते है तथा परियोजना जिनके लिए कार्य करती है, तथा सामयिकता के आग्रह की आवश्यकता है।

15. चुनौती एक परिवर्तन अभिकर्त्ता होने की है। एक परिवर्तन अभिकर्त्ता होना बिल्कुल कठिन नहीं है। हम में से प्रत्येक के पास निश्चित अपरक्राम्य सिद्धान्त, जो हमारे जीवन को शासित करें, होने चाहिए। सबसे बडी चुनौती, जिसका आप सामना करते है, अपने मूलभूत सिद्धान्तों को परिवर्तित किए बिना अपने आप को निरन्तर परिवर्तित करना है।

16. परन्तु परिवर्तन अभिकर्त्ता इस प्रकार से उत्पन्न नहीं होते। मुख्य रूप से उन्हें उनकी शिक्षा तथा उनके अनुभव के द्वारा ढाला, गढा तथा विकसित किया जाता है। कुछ शिक्षा के केन्द्र निरन्तर ऐसे विद्यार्थी उत्पन्न करते है जो बाद में जिस भी क्षेत्र में कार्य करते है उसके खेल परिवर्तक बन जाते है। हार्वर्ड का लक्ष्य कथन कहता है "यह समाज की सेवा करने के लिए ज्ञान पैदा करने का प्रयास करता है"। वह संस्थान जो शिक्षा तथा ज्ञान में अन्तर करता है ऐसा संस्थान है जो नेताओं को ढालने के लिए कड़ी परीक्षा का कार्य करते है।

17. यह विचार कि "परिणाम माध्यम को सही और गलत बनाता है" उत्तरोतर, व्यक्तियों समूहों या सरकारों के आवरण के लिए सुविधाजनक आवरण बनता जा रहा हैं। परन्तु इस व्यक्ति या सामूहिक व्यवहार के आशय व्यापक हैं। इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि नैतिकता में कोई हल्कापन अंतत: सामाजिक मान्यताओं के अधोपतन की ओर ले जाता है, देश को एक दलदल में धकेल देता है जहॉ से ऊपर उठने में युगों लग जाते है। यह आपके सामने मेरे तीसरे प्रस्ताव में परिणत होता है: क्या नैतिकता चयन करके प्रयुक्त होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो इसका प्रयोजन औचित्य तथा परिमाण का निर्धारण कौन करेगा? कब यह सुविधाजनक होना बन्द हो जाएगा और असुविधाजनक बन जाएगा? कब हम व्यक्तिगत आज्ञालंघन से संस्थागत आज्ञालंघनों में बदल जाएंगे? संसदीय लोकतंत्र का एक मूल आधार यह है कि एक निर्वाचित तथा उत्तरदायी राजनीतिक कार्यकारिणी, एक विस्तृत नौकरशाही संरचना के साथ, संविधान और कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अन्तर्गत लोक कार्यो का संचालन करेंगे। तथापि, प्रत्येक लोकतंत्र में जटिल राजनीति की वास्तविकता सुविधाजनक चूक की ओर ले जाती है। सत्यनिष्ठा तथा

ईमानदरी के दैवयोग बनने के साथ, समायोजन की एक प्रभावी संस्कृति प्रचलन बन गई है। मुझे आपको याद दिलाना होगा कि यह अपेक्षाकृत एक त्रुटिपूर्ण दुनिया है जिसमें जाने का उपक्रम आप कर रहे हैं। आप वह आदमी और औरतें बनेंगे जिनका महत्व होगा तथा जो समाज में नेता बनेंगे। जीवन के प्रारंभ में चयन करें तथा सुनिश्चित करें कि सत्यनिष्ठा आपके कार्यों की आधारशिला है।

18. कैनेडी विद्यालय ने महान व्यक्ति तथा महान विचार दिए है। यह न तो अमीर विद्यार्थियों न ही गरीब विद्यार्थियों का महाविद्यालय है। इसके कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इसका एकमात्र लक्ष्य वुद्धि की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की गरिमा रही है। भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था में हम इन्हीं मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है कि जब भारत की कहानी लिखी जाए, भावी पीढी यह कहकर आकलन न करे कि जब चुनौती दिखाई दी, हम अभावग्रस्त पाए गए। संस्था अपने प्रारब्ध को आकार स्वयं देते हैं। देश भी उनका प्रारब्ध स्वयं ही निर्धारित करते हैं। प्रत्येक पीढी को इससे पहली पीढी की संस्कृति को आगे बढाना है। मैं अपने विश्वास में दृढ हूँ कि इतिहास यह अंकित करेगा कि हमने अगली पीढी को एक मूल्य तंत्र तथा एक धरोहर वसीयत की है जो उससे अत्यधिक ज्यादा समृद्ध है जो हमें वंशागत मिली थी।